

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5)विभाग
कमांक:प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट
निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

जयपुर, दिनांक 02.08.2016

रजिस्टर्ड पत्र

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

सन्दर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2016

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश, भौतिक सत्यापन व फीस के पुनर्भरण हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए दिशा निर्देश पत्र कमांक:प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई/2014 जयपुर, दिनांक 30.03.2016 द्वारा जारी किये गए थे।

दिशा निर्देशों के अध्याय -3 में भौतिक सत्यापन हेतु दिए गए दिशा निर्देशों को अतिक्रमिit करते हुए भौतिक सत्यापन के नवीन दिशा निर्देश (प्रति संलग्न) एतद् द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी है :-

1. व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से इन दिशा निर्देशों को आरटीई वेब-पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें।
2. एनआईसी से सम्पर्क कर आरटीई वेब-पोर्टल पर उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न :- भौतिक सत्यापन दिशानिर्देश

भवदीय


(नसीरुद्दीन कुरैशी)

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिचि/प्रार/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16-17/92

दिनांक - 4-8-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों एवं विद्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।
4. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल जयपुर को RTE वेब पोर्टल पर आवश्यक तदनुसार कार्यवाही करने हेतु।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)..... को प्रेषित कर लेख है कि मंडल के अधीन जि.शि.अ.प्रा.शि. कार्यालयों एवं ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारियों से टाईम फ्रेम के अनुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त).....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों को तदनुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें।


अतिरिक्त निदेशक (शासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान

गैर-सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

गैर-सरकारी विद्यालयों में सत्र 2016-17 में निःशुल्क शिक्षा हेतु नव प्रवेशित एवं पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालकों के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी दिशा-निर्देश

(निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत)

भाग-1 भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. सत्यापन दलों का गठन:
 - 1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।
 - 1.2 राज्य के ऐसे समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है जो कक्षा-1 या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से प्रारम्भ होते हैं।
 - 1.3 एक सत्यापन दल को सामान्यतया 5 विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। आवंटन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि गत सत्र में गठित सत्यापन दलों की यथावत पुनरावृत्ति नहीं हो तथा उनको आवंटित विद्यालय भी परिवर्तित हो जायें।
 - 1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./अध्यापक/लिपिक वर्ग होगा।
 - 1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेंगे तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जायेगा।
 - 1.6 दलों के गठन में यह ध्यान रखा जायेगा कि उन्हीं विद्यालयों से प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षक सत्यापन दलों में लगाये जाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
2. विशेष सत्यापन दलों का गठन:-
 - 2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सम्मेल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार विशेष दलों का गठन करेंगे।
 - 2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे। ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाएँगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएँगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएँगे।
 - 2.3 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।
 - 2.4 विशेष जाँच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है।
3. सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :-
 - 3.1 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने-अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा।
 - 3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को "दुर्बल वर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह", प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
 - 3.3 निःशुल्क सीटों पर प्रवेश की ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।
 - 3.4 यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2016 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश आरटीई वेब-पोर्टल <http://www.rte.raj.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
 - 3.5 सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों के दिशा-निर्देशों की एक-एक प्रति भी दी जाएगी।
 - 3.6 जिला एवं ब्लॉक के आरटीई प्रभारी अधिकारियों के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवाये जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पडने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।
4. भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेम :

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	12.08.2016 तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	16.08.2016 से 10.09.2016 तक
3	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	16.08.2016 से 15.09.2016 तक
4	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना।	16.08.2016 से 20.09.2016 तक

नोट:-कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्टि कर अधिकतम 3 दिवस के अन्दर पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

भाग-2 भौतिक सत्यापन हेतु सत्यापन दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. सत्यापन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य

- 1.1 सर्व प्रथम सत्यापन दल विद्यालयों को सूचित करेंगे कि विद्यालय अपने लॉगइन से निरीक्षण प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें तथा निरीक्षण दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैंस बुक, रसीद बुक, एसआर रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण-पत्र तैयार रखें। आरटीई अधिनियम की धारा 12(3) के तहत उक्त समस्त सूचनायें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाना बाध्यकारी है।
- 1.2 सत्यापन दल विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- 1.3 जिन विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर एक भी प्रवेश नहीं हुआ है उन विद्यालयों में प्रवेश न होने का कारण पूछा जाएगा तथा विद्यालय की अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा।
- 1.4 प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में (यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है। यह परिवर्तन केवल बालक के अभिभावकों के नाम या बालक के लिंग में ही किया जाना सम्भव है।
- 1.5 निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, स्तर, मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जाँच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।
- 1.6 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक की पात्रता की जाँच करेंगे तथा पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित करेंगे। जो बालक प्रवेश हेतु अपात्र पाए जावें अर्थात् पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों को कोड अंकित करने हैं।
- 1.7 सत्यापन दल निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जाँच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप-आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। निःशुल्क सीटस पर प्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों व अन्य दस्तावेजों की गहन जाँच कर लें तथा ये बालक वास्तविक रूप से अध्ययनरत हैं इसकी प्रमाणिकता की भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि यह बालक फर्जी नहीं है।
- 1.8 यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम/वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र/शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों की निःशुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनकी निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी।
- 1.9 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जाँच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा कैंसबुक, रसीद बुक, फीस संधारण रजिस्टर एवं वाउचर पंजिका का निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात की जाकर फीस की पुष्टि कर ली जावे। सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंसा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 1.10 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की माग नहीं की जायेगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जायेगी। भौतिक सत्यापन द्वारा जो भी रिकार्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाकर अध्यक्ष द्वारा अपने पदनाम की मोहर आवश्यक रूप से लगायी जाएगी।
- 1.11 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही सम्बन्धित संस्थाप्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवायी जायेगी तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करवायी जायेगी।
- 1.12 सत्यापन दल द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड करना है।

2. सत्यापन दल द्वारा प्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जाँच :- यह जाँच निम्नांकित आधारों पर की जायेगी।

2.1 "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" :-

2.1.1 दुर्बल वर्ग - दुर्बल वर्ग में निम्न लिखित सम्मिलित हैं -

ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बीपीएल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है तथा अभिभावक द्वारा बीपीएल कार्ड की प्रति संलग्न की गयी है। बीपीएल सूची/कार्ड ग्रामीण क्षेत्र का बना हुआ है तो उसका कैंचमेण्ट एरिया ग्रामीण ही होगा तथा यदि सूची/कार्ड शहरी क्षेत्र की बनी हुई है तो उसका कैंचमेण्ट एरिया शहरी क्षेत्र होगा।

2.1.2 असुविधाग्रस्त समूह - असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(i) अनुसूचित जाति के बालक (ii) अनुसूचित जनजाति के बालक (iii) अनाथ बालक (iv) एचआईवी/केन्सर से ग्रस्त अभिभावकों के बालक (v) युद्ध विधवाओं के बालक (iv) निःशक्त बालक जो कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों।

- 2.2 निःशुल्क प्रवेश हेतु "दुर्बल वर्ग" एवं असुविधाग्रस्त समूह" से संबंधित प्रमाण पत्र – "दुर्बल वर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" की उक्त परिभाषाएँ शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रभावी होंगी।
- 2.3 कैचमेन्ट एरिया – आरटीई राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गाँव में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गाँव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिकाएँ प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
- 2.4 कैचमेंट एरिया से सम्बन्धित निवास प्रमाण पत्र – बालक के निवास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सम्बन्धित शहरी नगर निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम) द्वारा बालक/अभिभावक के लिए जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/झाड़विंग लाइसेंस/बिजली का बिल/पानी का बिल मान्य होंगे।
- 2.5 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता :- एण्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- 2.5.1 प्रथम विकल्प :- आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार- अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे है, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एण्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगी :-

क्र. सं.	विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा-1 से पहले)	एण्ट्री लेवल कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	तीन वर्षीय	Pre Primary 3+(PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2	दो वर्षीय	Pre Primary 4+(PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3	एक वर्षीय	Pre Primary 5+(PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

- 2.5.2 द्वितीय विकल्प – विद्यालय जिस बोर्ड से सम्बद्ध है, उस बोर्ड द्वारा एण्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु यदि कोई आयु सीमा निर्धारित की है अथवा विद्यालय ने अपने स्तर पर 75 प्रतिशत गैर आरटीई सीटों पर प्रवेश हेतु कोई पारदर्शी आयु नीति (Age Policy) बना रखी है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया है तो 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु भी यह आयु नीति मान्य होगी, लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम तथा 7 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों को एण्ट्री कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकेगा तथा किसी भी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। विद्यालय यदि आरटीई पोर्टल पर आयु पॉलिसी के द्वितीय विकल्प का चयन करता है तो उसे अपनी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी।

नोट – उपरोक्त व्यवस्था में एण्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये हैं वे विद्यालयों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिकाओं की न्यूनतम व अधिकतम आयु 30 अप्रैल, 2016 को पूर्ण होनी चाहिए।

- 2.6 आयु के सबूत के लिये दस्तावेज :- राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 के अनुसार प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में –
- (क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख
(ख) ऑगनबाड़ी अभिलेख और
(ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।
उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्य होगा।
- 2.7 यदि किसी बालक की ऑफ लाइन प्राप्त आवेदन पत्र की सूचनाएँ विद्यालय द्वारा गलत प्रविष्ट की गयीं हैं तथा इन सूचनाओं की पुष्टि दस्तावेजों से नहीं हो रही है तो इस प्रकार का प्रवेश मान्य नहीं होगा तथा ऐसे बालकों को वह विद्यालय अपने स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य होगा।
- 2.8 यदि किसी बालक/अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएँ गलत पायी जाती हैं, अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएँ संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने के कारण बालक अपात्र होता है तो इसके लिए बालक/अभिभावक स्वयं उत्तरदायी होगा।

भाग -3 सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र

आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन
(सत्र 2016-17)

1. विशेष ध्यान रखने योग्य बातें:-

- 1.1 विद्यालय अपने लॉगइन से निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रिंट आउट लेकर दो प्रतियों में निरीक्षणकर्ताओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
- 1.2 निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रिंट में जो सूचनाएँ पहले से भरी हुई हैं, उनकी गहनता से जाँच कर पुष्टि कर लें। यदि किसी सूचना में अन्तर है तो पूर्व से भरी सूचना पर पैन से गोला बना दें तथा सही सूचना उसके पास में अंकित कर दें। विद्यालय लॉगिन से यह परिवर्तन केवल बालक के अभिभावकों के नाम या बालक के लिंग में ही किया जाना सम्भव होगा अन्य परिवर्तन प्रमाणित होने के पश्चात् कार्यालय स्तर से किये जायेंगे।
- 1.3 सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।
- 1.4 सूचनाएँ जिनकी जाँच ध्यान पूर्वक की जानी है-
 - (i) विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र।
 - (ii) विद्यालय की एन्ट्री कक्षा (विद्यालय में कक्षा-1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 3+ दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एन्ट्री कक्षा 5+ होगी)
 - (iii) पूर्व में अध्ययनरत बालकों का वर्तमान सत्र के लिए आय प्रमाण पत्र (केवल Gen, OBC, SBC बालकों पर लागू)
 - (iv) विद्यालय के अल्पसंख्यक की श्रेणी में होने पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग से जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
 - (v) सत्र 2016-17 में निःशुल्क सीट पर नव प्रवेशित बालक-बालिका को सत्यापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश के बाद लगातार विद्यालय में आ रहा है तथा इसका अन्यत्र किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है।
- 1.5 इस प्रपत्र में पूर्व में भरे हुए डाटा में बदलाव से विद्यालय सहमत हैं। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।

2 निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद व पदस्थापन स्थान :-

2.1 निरीक्षणकर्ता अध्यक्ष

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 2.1.1 नाम | 2.1.2 पद |
| 2.1.3 पदस्थापन स्थान | 2.1.4 मोबाइल नं |

2.2 निरीक्षणकर्ता सदस्य

- | | |
|----------------------|------------------|
| 2.2.1 नाम | 2.2.2 पद |
| 2.2.3 पदस्थापन स्थान | 2.2.4 मोबाइल नं. |

3 निरीक्षण की दिनांक :-

4. विद्यालय से सम्बन्धित विवरण :-

- | | |
|--|-----------------|
| 4.1 विद्यालय का नाम | 4.2 डाईस कोड |
| 4.3 विद्यालय का पूर्ण पता | |
| 4.4 जिला | 4.5 ब्लॉक |
| 4.6 ग्राम पंचायत/यूएलबी | 4.7 ग्राम/वार्ड |
| 4.8 विधानसभा क्षेत्र | 4.9 पिन कोड |
| 4.10 विद्यालय श्रेणी (उचित पर सही का निशान लगायें) | |

- | | |
|---|------------------------------------|
| - Primary(1-5) | - Primary with Upper Primary (1-8) |
| - Pr With Up. Pr. Sec. and H.Sec. (1-12) | - Upper Primary Only (6-8) |
| -Up. Pr. Secondary and Higher Sec. (6-12) | - Pr.Up. and Sec. Only (1-10) |
| -Upper Pr. and Secondary (6-10) | - Secondary Only (9-10) |
| -Secondary With Higher Sec. (9-12) | - Higher Sec. Only/ (11-12) |

4.11 विद्यालय का प्रकार

- | | | |
|----------|--------|-------|
| - Boys | -CBSE | -RBSE |
| - Girls | -ICSE | -IB |
| - Co-Edu | -OTHER | -NONE |

4.12 विद्यालय से संबंधित बोर्ड

- | | |
|--|--|
| 4.13 बोर्ड द्वारा प्रदत्त विद्यालय कोड | 4.14 विद्यालय का फोन.....मोबाइल नं. |
| 4.15 विद्यालय का आरटीई मान्यता क्रमांक यदि है तो
(केवल 01.04.2010 से पूर्व संचालित विद्यालयों के लिए) | |

- 4.16 पूर्ण आवासीय विद्यालय (हाँ / नहीं)
 4.17 अल्पसंख्यक संस्थान (हाँ / नहीं)
 4.18 क्या विद्यालय अल्प संख्यक संस्थान होने पर भी निःशुल्क सीटों पर प्रवेश देता है। (हाँ / नहीं)

5. विद्यालय संस्था प्रधान संबंधित विवरण :-

- 5.1 संस्था प्रधान का नाम
 5.2 मोबाइल नं.
 5.3 संस्था प्रधान का ई-मेल

6. विभागीय उच्चतम मान्यता :-

- 6.1 मान्यता क्रमांक (हिन्दी माध्यम) दिनांक
 6.2 मान्यता क्रमांक (अंग्रेजी माध्यम) दिनांक

7. विद्यालय में संचालित कक्षाएँ :-.....से.....तक।

8. विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु एन्ट्री कक्षाएँ एवं उनकी प्रवेश क्षमता :-

(नोट : विद्यालय में कक्षा-1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर कक्षा 5+ होगी। निर्धारित आयु पॉलिसी में बदलाव सम्भव नहीं है।)

8.1 प्रथम एंट्री कक्षा

8.2 माध्यम

8.3 आयु पॉलिसी

9 सत्यापन के दिन 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं 75 प्रतिशत सःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे कक्षावार बालकों की वास्तविक उपस्थिति :-

क्र. स.	कक्षा	माध्यम	25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की संख्या		सत्यापन के दिन उपस्थिति		75 प्रतिशत सःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों की संख्या		सत्यापन के दिन उपस्थिति	
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	PP 3+ (PP3+) Hindi									
2	PP 4+ (PP4+) Hindi									
3	PP 5+ (PP5+) Hindi									
4	First									
5	Second									
6	Third									
7	Forth									
8	Fifth									

10. विद्यालय में निःशुल्क (25 प्रतिशत) सीटों पर अध्ययनरत बालकों का सत्यापन :-

10.1 बालकों की पात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य होने के कारण :- बालक "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह" का है, कैचमेंट एरिया का निवासी है तथा विद्यालय की एंट्री कक्षा के लिए निर्धारित आयु का है तथा इनसे संबंधित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा एवं लॉटरी तिथि से पूर्व की तिथियों में जारी किये गए हैं।

10.2 बालकों की अपात्रता के आधार पर पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण :-

अयोग्यता कोड	बालकों के पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण	वर्तमान सत्र में प्रवेशित बालकों के लिए	पूर्व सत्रों में प्रवेशित तथा क्रमोन्नत बालकों के लिए
11	बालक "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह" का नहीं है।	लागू	लागू नहीं
12	बालक के "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह" निवास से सम्बन्धित दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है।	लागू	लागू नहीं
13	बालक के "दुर्बल वर्ग या "असुविधाग्रस्त समूह" निवास से सम्बन्धित दस्तावेज लॉटरी तिथि या उसके बाद की तिथि से जारी किए गए हैं।	लागू	लागू नहीं
14	वर्तमान में बालक के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है। (केवल सामान्य, ओबीसी, एसबीसी के सत्र 2015-16 या पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों पर लागू)	लागू नहीं	लागू
15	बालक कैचमेंट एरिया से बाहर का निवासी है।	लागू	लागू नहीं
16	बालक ने 01.09.2016 से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया है।	लागू नहीं	लागू
17	बालक गत सत्र में अध्ययनरत रहा है परन्तु वर्तमान सत्र में विद्यालय छोड़ दिया है।	लागू नहीं	लागू

18	बालक की मृत्यु हो गयी है।	लागू	लागू
19	बालक का डाटा गलती से प्रविष्ट हो गया।	लागू	लागू
20	बालक पास के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है।	लागू	लागू
21	बालक प्रवेश के पश्चात् अध्ययन के लिए नहीं आया।	लागू	लागू
22	अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है।	लागू	लागू

10.3.1 वर्तमान सत्र 2016-17 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों की सूची :-

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	एस. आर.	जन्म दिनांक	कक्षा	माध्यम	मोबाइल नम्बर	योग्य/अयोग्य	अयोग्यता कोड

10.3.2 पूर्व सत्रों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित एवं वर्तमान सत्र के लिए क्रमोन्नत बालकों की सूची -

क्र. सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	एस. आर.	जन्म दिनांक	कक्षा	माध्यम	मोबाइल न.	योग्य/अयोग्य	अयोग्यता कोड

10.4.1 विद्यालय में वर्तमान सत्र 2016-17 में एण्ट्री कक्षा में सःशुल्क (75 प्रतिशत) सीटों पर अध्ययनरत बालकों की सूची

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	एस.आर.	कक्षा	माध्यम	अध्ययनरत है/ नहीं

10.4.2 विद्यालय में गत सत्र में एण्ट्री कक्षा में सःशुल्क (75 प्रतिशत) सीटों पर प्रवेशित बालकों की सूची

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	एस.आर.	कक्षा	माध्यम	अध्ययनरत है/ नहीं

11. शेष 75 प्रतिशत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण :-

नोट: शुल्क का सत्यापन विद्यालय की रसीद बुक, कैंश बुक, वाउचर पंजिका एवं फीस संधारण रजिस्टर के आधार पर करें। (विद्यालय द्वारा सत्यापन के समय रसीद बुक, कैंश बुक, वाउचर पंजिका एवं फीस संधारण रजिस्टर का अवलोकन नहीं करवाया जाता है तो सत्र 2016-17 की वार्षिक फीस के कॉलम में राशि अंकित नहीं की जाएगी, परन्तु कॉलम में उक्त तथ्य का अंकन किया जाएगा।) फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है। विद्यालय को यह ज्ञात होना चाहिए कि वार्षिक फीस की राशि अंकित नहीं होने के कारण प्रथम एवं द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा परन्तु निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित बालकों को अपने स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य होगा।

क्र. सं.	संचालित कक्षा	विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस							
		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
		हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी

12. विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है?

(यदि हाँ तो भेदभाव का उल्लेख करें।)

हाँ/नहीं

13. निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा सहायक सामग्री दी गई है?

हाँ/नहीं

14. विद्यालय को गत वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण की राशि का इन्द्राज कैंश बुक में किया जाता है?

हाँ/नहीं

15. गत सत्रों में प्रवेशित एवं क्रमोन्नत बालकों के संबंध में प्रवेश आवेदन पत्र, वांछित दस्तावेज, निरीक्षण प्रतिवेदन, क्लेम बिल की प्रति एवं कैंश बुक विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखे हुए हैं?
हाँ/नहीं (नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 17 में पूर्ण उल्लेख करें)

16. छात्र उपस्थिति पंजिका एवं छात्र मूल्यांकन संबंधी अभिलेखों का अवलोकन करने पर निःशुल्क एवं सःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की उपस्थिति नियमित पायी गयी। (हाँ/नहीं) की स्थिति में बिन्दु संख्या 17 में उल्लेख करें।

17. अन्य विवरण जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझे:-

.....

.....

.....

18. निरीक्षण प्रतिवेदन की उपरोक्त समस्त सूचनाओं से विद्यालय सहमत है तथा इस सत्यापन प्रतिवेदन की वेबपोर्टल पर प्रविष्टि निर्धारित तिथि से पूर्व कर दी जायेगी। रिपोर्ट के मिलान के दौरान कार्यालय द्वारा रिपोर्ट को रिजेक्ट किये जाने पर 3 दिवस के अन्दर रिपोर्ट को सही प्रविष्ट कर पुनः लॉक कर दिया जायेगा। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

19. प्रमाणित किया जाता है कि हमने (नाम) 1.....2..... दिनांक..... को(विद्यालय का नाम) में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों का विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कर उनके प्रवेश संबंधी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है। निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की पात्रता की जांच कर ली है तथा कुल पात्र बालकों.....(बालकों की संख्या) के लिए पुनर्भरण की अनुसंशा की जाती है।

हस्ताक्षर सदस्य
भौतिक सत्यापन दल

हस्ताक्षर अध्यक्ष
भौतिक सत्यापन दल

प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त की।

दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
विद्यालय की मोहर सहित